M.O (E&H)
7-7-21
Pankaj
15-07-21

Re-put up
7/7/2021

1

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार
दैनिक संख्या 1499
दिनांक 12/7/21
लोक प्रशासन संस्थान शिमला-12

संख्याः टी.पी.टी–एफ(2)–4/2019 –II तारीखः शिमला–171002 30-06-2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित 26 गांवों नामतः 1. कांगुवाली, 2. धरोट, 3. खैरियां 4. थापना 5. समलेटु 6. जब्बल, 7. दगडाहन, 8. टिक्कर 9. भटेड़ 10. टाली, तहसील श्री नैणा देवी जी और गांव 11. कोट, 12. तुन्नू, 13. नई सारली, 14.भराड़ी 15.माणवां, 16. रामपुर 17. खनसरा, 18.रघुनाथपुरा, 19.कोहलवीं, 20. बलोह 21. उप महाल बिलासपुर 22. डियारा 23. खैरियां लुहणू 24. बामटा 25. बैहल कन्डेला 26. बध्यात तहसील सदर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण क्रियान्वित करते हैं;

तहसील श्री नैनादेवी जी और तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त 26 गांवों का 638–0 बीघा (48.0 हैक्टेयर) रकबा जिनके गांव एवं खसरा नम्बरवार प्रस्तावित ब्यौरे उपाबन्ध– "क" पर संलग्न है, को भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी, नई ब्रॉड गेज़ रेलवे लाइन (न्यू बी.जी. रेलवे लाइन) के सन्निर्माण के लिए अर्जित किया जाना है;

भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के सन्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन को सुरंगों और पुलों के माध्यम से गुज़ारने द्वारा कम भूमि का समावेश करके, कम व्यय और न्यूनतम पर्यावरण प्रतिकूल समाघात सहित रणनीति का अनुसरण किया गया है। उपरोक्त रेलवे लाइन के तीव्रगामी सन्निर्माण से प्रदूषण नियंत्रण और राज्य के स्त्रोतों का महत्वपूर्ण सीमा तक सुधार होगा। परियोजना से बहुविद्य प्रयोजनों को पूरा करने करने के आशय से, जैसे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन का समन्वेषण करना, परिवहन की भीड़–भाड़ और यानों के प्रदूषण को कम करना, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क को क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ–साथ लेह की ओर सामरिक प्रयोजनों के लिए अन्तराष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्रवेश द्वार के

रूप में जोड़ने से औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम कारबार उद्यमों और व्यापार के संवर्धन द्वारा हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में परिवर्तन सम्भाव्य है। परियोजना से औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम कारबार उद्यमों और व्यापार के संवर्धन द्वारा हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को परिवर्तित करने की संभावना भी है;

इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक समाघात निर्धारण का संचालन करते समय इस अवधि के दौरान प्रताड़ना या धमकी का कोई प्रयास इस क्रिया को अकृत (बातिल) और शून्य कर देगा। सामाजिक समाघात निर्धारण को इसके प्रारम्भ से छह मास के भीतर पूर्ण कर दिया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई सर्वेक्षण, विचार–विमर्श और सार्वजनिक सुनवाइयों का संचालन करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण का संचालन करते समय ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को समुचित प्रातिनिधित्व दिया जाए।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पर विचार करते समय अन्य बातों , जिन पर परियोजना के विभिन्न घटकों जैसे कि प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक परिसम्पतियाँ, परिसम्पतियाँ और अवसंरचना विशेषकर सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, जल–निकासी सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल स्त्रोत, सामुदायिक जलाशय, चारागह, भू–उद्यान, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें, खाद्य भंडारण, गोदाम, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, स्कूल शैक्षणिक और प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनबाड़ी, बाल–उद्यान, पूजा–स्थल, पौराणिक जनजातीय संस्थाएं और कब्रों एवं कब्रिस्तान आदि पर अंर्तनिहीत प्रभाव पर विचार करेगी। सामाजिक समाघात विरचना इकाई, अधिनियम, 2013 की धारा 4 (5) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचिबद्ध समस्त मद्दों का समावेश करेगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, परामर्श, सर्वेक्षण और लोक सुनवाइयों को पूर्ण करने के पश्चात् प्ररूप–2 पर उपरोक्त नियमों के नियम 3 (3) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना और शोधक उपायों की सूची जो प्ररूप–3 पर नियम 3 (4) के अधीन विर्निदिष्ट घटकों पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं, तैयार करेगी।

रेलवे विकास निगम सीमित (रिक्वारिंग बोडी) जो भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी, नई ब्रॉड गेज़ (बी.जी.) रेलवे राइन का संनिर्माण कर रही है, भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है और भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 2 (1) (ख) के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन किए जाने के लिए प्रस्तावित है।

इसलिए पूर्वोकत अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित सहमति से सम्बंधित उपबंध,इस भू– अर्जन अर्जित के लिए भी लागू होंगे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्याः रैव–बी–ए(3)–3/2014–।।, तारीख 27–11–2015 द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई गठित की है। जन साधारण की सूचना के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई के निम्नलिखित सम्पर्क हैं :–

क्रमांक.	नाम और पता	पदनाम	सम्पर्क सूचना
1.	निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान, शिमला	अध्यक्ष	0177–2734777
2	उप सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2	सदस्य सचिव	0177–2628497
3	प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिप्पा, शिमला	सदस्य	———
4	समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य का विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–5	सदस्य	0177–2833872
5	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शिमला	सदस्य	0177–2816047

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याःउपरोक्त दिनांक शिमला–2 30-06-2021

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व),हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
2. मण्डलायुक्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक परिवहन, परिवहन भवन, हिमाचल प्रदेश, शिमला
4. उपायुक्त,जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश शिमला–2 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रोषित है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन दो विभिन्न समाचार पत्रों, जिनमें एक क्षेत्रीय भाषा का हों, में करवाया जाये।
6. अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलान, शिमला–2 ।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई के समस्त सदस्य।
8. मुख्य महा प्रबन्धक, आर.आर.टी.डी.सी., शिमला।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, आर.वी.एन.एल. रेलवे भर्ती बोर्ड भवन, रेलवे कोलोनी, नजदीक रेलवे स्टेशन, चण्डीगढ़।
10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
11. उप मण्डल अधिकारी (ना), सदर बिलासपुर व श्री नैणा देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर हि0प्र0।
12. भू–अर्जन अधिकारी (रेलवे), बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना का प्रचार सम्बन्धित क्षेत्र में जन साधारण की जानकारी हेतु सुविधाजनक स्थानों पर करवाया जाये।
13. तहसीलदार, सदर बिलासपुर व श्री नैणा देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर हि0प्र0।
14. संरक्षण नस्ति।

संयुक्त सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार